

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

Endt. No. D/4169 /
II-15-18/01

Jabalpur, dated 23.06.2018

The Notification of the Government of M.P., Department of Law and Legislative Affairs F.No. 17(E)43/2009/21-B(One)/2477/2018, Bhopal dated 15.06.2018 issued as per the provisions of Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 is forwarded to;

1. Registrar Gum P.P.S. to Honble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Honble the Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
3. Principal Registrar, High court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judge Mandla for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Judge also.
5. The Deputy Registrar, Confidential and the Section Officer, Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information ,
6. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01-03-2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01-03-2018.

Varun Punase
23/6/18
(Varun Punase)
O.S.D. (D.E.)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 15/06/2018

फा. क्रमांक 17(ई)43/2009/21-ब(एक)/2477/2018, ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)/13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 43 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

अनु क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"43.	श्री चौधर सिंह सैयाम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मण्डला	मण्डला	मण्डला	मण्डला	मण्डला

NOTIFICATION

F.No. 17(E)43/2009/21-B(1)/2477/2018,- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No.4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F.No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(I) /13, dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 43 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43.	Shri Chaudhar Singh Shaiyam, II nd Civil Judge Class-I, Mandla	Mandla	Mandla	Mandla	Mandla

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ. क्र. 17(ई)43 / 2009 / 21-ब(एक) / 2477 / 2018,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15 / 06 / 2018

- रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर, के फेक्स पत्र क्रमांक C/2383, दिनांक 15.05.2018 के संदर्भ में,
- उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म.प्र. राजपत्र - भाग एक) में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।
() केवल मुद्रणालय हेतु।
- शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।



(आरुण-के. वाणी)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग